कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल

E-mail - dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/स्था./24/10 **बैतूल, दिनांक 30.01.2024**

विज्ञापन

1. मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7/2018/छब्बीस-1 दिनांक 26.07.2019 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8 2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 04.07.2022 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 8 2/2013/आ.प्र./एक, दिनांक 04.01.2024, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.2/दिव्यां./4030 दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त बैतूल का पत्र पृ. क्रमांक/स्था./2927 दिनांक 28.07.2022 के अनुपालन में वन वृत्त बैतूल जिला बैतूल के अंतर्गत निःशक्तजनों के रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी के पद पर ''वॉक-इन-इन्टरव्यू'' के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में निःशक्त उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. संबंधित निःशक्तजन आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.02.2024 तक कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल कालापाठा बैतूल म.प्र. में व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. संबंधित निःशक्तजन आवेदन **दिनांक 23.02.2024** को 11.00 बजे प्रातः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल में अपने शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों के साथ ''वॉक-इन-इन्टरव्यू'' के लिए उपस्थित होवें। रिक्त पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पदनाम	कुल पद संख्या	वेतनमान	श्रेणीवार रिक्त पद	शैक्षणिक योग्यता एवं आयु-सीमा
				श्रवण बाधित (बहरे और कम सुनने वाले) 1.5%	
01	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	01	15500-49000	01	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण/18 वर्ष से 40 वर्ष की अतिरिक्त छूट सहित 45 वर्ष अधिकतम।

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें :-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
3. आयु सीमा भृत्य के लिए दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभागों/निगमों/मंडलों/आयोगों/शासकीय निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शासकीय रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारो का शासन के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
5. चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात भी आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन समाप्त किया जा सकेगा।
6. जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम (आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया होगा उसे उक्त पदों हेतु अयोग्य माना जावेगा।
7. म.प्र. शासन के नियम अनुसार जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, तथा उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 के पश्चात हुआ हो तो वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से भेजें, सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटि पूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
10. बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल के पास होगा। चयन नियुक्ति में वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) का निर्णय अंतिम होगा।
11. आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र ए-4 साइज पेपर पर कम्प्युटर पर मुद्रित या टाइप कराया जाये तथा उसकी समस्त प्रविष्टियां हस्तलिपि में करें एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें, निर्धारित स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा करें।
12. आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल निवास, जन्मतिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग आदि) से संबंधित प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची/अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां (स्वयं के द्वारा प्रमाणित संलग्न की जाये)।
13. निःशक्त आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/चिकित्सक निःशक्तजनों के लिए रोज़गार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. मेरिट के आधार पर ''वॉक-इन-इन्टरव्यू'' के लिए आमंत्रित किया जावेगा।